

21/8/18 परावली प्रस्तुत। अधीन संख्या L.2,8;9

की कोरे से वकील श्री सुरेश विद्गोई, पण्डक  
व हापुराग विद्गोई ने वकालतनामा प्रस्तुत किया  
जो शामिल परावली किया गया। पीओ को सब  
दुल्हालय से बाहर होने से परावली दिनांक  
18/9/18 को फंसा है।

18/9/18

परावली प्रस्तुत/पी.ओ. साहब अन्य  
कार्यो में व्यस्त होने/मुख्यालय से बाहर  
होने/चुनाव कार्यों में व्यस्त/ लोक अदालत  
केम्प में व्यस्त होने से परावली  
दिनांक... 20/11/18 को पेश हो।

20/11/18

परावली प्रस्तुत/पी.ओ. साहब अन्य  
कार्यो में व्यस्त होने/मुख्यालय से बाहर  
होने/चुनाव कार्यों में व्यस्त/ लोक अदालत  
केम्प में व्यस्त होने से परावली  
दिनांक... 8/1/19 को पेश हो।

21/12/18

अधीनगत वकील ने परावली तलब का प्राप  
प्रस्तुत कर परावली पर सुनवाई का निर्देश  
किया। जिस पर सुना गया। परावली तलब का  
प्राप स्वीकार कर परावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत।  
उक्त प्राप का मूल वाद लक्ष्मी विद्गो खारीप  
किया गया। किंतु उक्त प्राप (212 RT Act)  
का कोई कोचिप नही रहने से उक्त प्राप  
मूल वाद के साथ खारीप किया जाता है। परा  
प्रैल्लभुगाए एवं नम्बल से कर लोक डाखिल  
इफल हो।

महायुक्त, जलक्टर चितलधाना  
। उपखण्ड अधिकारी - चितलधाना।